कार्यालय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.)

E-Mail :- deanshahdol@gmail.com ,
Website :- www.gmcshahdol.org
Contact No. :- 9422821338, 7974326371, 9759468300, 9981293674
Office No. :- 07652-243000

कमांक 2731 / स्था. / चि.म.वि. / शहडोल / 2019 शहडोल, दिनांक 05/08/2019

//विज्ञप्ति सूचना//

1. कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा 6वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र. के पत्र कमांक 6309–319 / स्था / राज / 2018 भोपाल, दिनांक 27 / 12 / 2018 म.प्र. शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के आधीन अस्पताल प्रबंधन हेतु **उप-रजिस्ट्रार** के रिक्त पद की पूर्ति की जानी है। **इस हेतु शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के लिए आवेदन दिनांक 31.08.2019 सायं 05:00 बजे तक आमंत्रित किए जाते है।** उपरोक्त जानकारी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल की वेबसाइट WWW.GMCSHAHDOL.ORG एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा भोपाल की वेबसाइट WWW.MEDICALEDUCATION.MP.GOV.IN पर उपलब्ध है।
2. आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से **कार्यालय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कुदरी- चॉंपा रोड, शहडोल (म.प्र.) पिन 484001** में जमा कराये जा सकते हैं।
3. आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के आधीन आवेदित पद का नाम ....और श्रेणी ....का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। किसी भी परिस्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. **आवश्यकता अनुसार चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन भी किया जा सकता है।**
5. **चयन हेतु साक्षात्कार अथवा लिखित परीक्षा की तिथि पृथक से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल की वेबसाइट WWW.GMCSHAHDOL.ORG के माध्यम से सुचित की जाएगी।**

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

कार्यालय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,
शहडोल (म.प्र.)

E-Mail :- deanshahdol@gmail.com ,
Website :- www.gmcshahdol.org
Contact No. :- 9422821338, 7974326371, 9759468300, 9981293674
Office No. :- 07652-243000

क्रमांक 2731/स्था./चि.म.वि./शहडोल/2019 शहडोल, दिनांक 05/08/2019

//विज्ञप्ति सूचना//

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा 6वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र. के पत्र क्रमांक 6309-319/स्था/राज/2018 भोपाल, दिनांक 27/12/2018 द्वारा मध्य प्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के आधीन अस्पताल प्रबंधन हेतु उप-रजिस्ट्रार के रिक्त पद की पूर्ति की जानी है। **इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिनांक 31.08.2019 सायं 05:00 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं।**

स.क	पदनाम	कुल पद	UR	SC	ST	OBC
1.	उप–रजिस्ट्रार	1	1	-	-	-

वेतनः– 60,000/– (निर्धारित एकमुश्त मासिक वेतन)

शैक्षणिक अर्हता :–

स.क्र.	पदनाम	शैक्षणिक अर्हता
1	उप–रजिस्ट्रार	Master of Hospital Administration / Master of Hospital Management

आयु सीमा :–

क्रमांक	आवेदक	म.प्र. के मूल निवासियों के लिए आयु सीमा (वर्ष में)
1	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग)	25+12 = 40 (वर्ष)
2	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग)	28+17 = 45 (वर्ष)
3	महिला/पुरुष आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	28+17 = 45 (वर्ष)
4	पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति/ जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	28+17 = 45 (वर्ष)
5	पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग-शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	28+17 = 45 (वर्ष)
6	निःशक्त आवेदकों के लिए	28+17 = 45 (वर्ष)

टीप :– **आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाले तिथि के पश्चात आने वाले 1 जनवरी के दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी। पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा। आवेदन हेतु अधिकतम आयु म.प्र. शासन नियमानुसार रहेगी।**

निरर्हतायें :–

1. विकृत चित्त वाला होने पर।
2. दुश्चरित्र होने पर।
3. शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपनी कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।

4. नियुक्ति के लिए प्रयास/अनुशंसा - किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपने उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिए से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिए अनर्हकारी माना जायेगा।
5. विवाह संबंधी :- जिस उम्मीदवार के न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसी महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसके पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसी महिला/पुरूष नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
6. कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेर बदल कर प्रस्तुत करने पर।
7. कदाचरण संबंधी :- किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्ति नहीं किया जावेगा, यदि उसमें शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणाम स्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो। यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्व ठहराया गया हो।
8. ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्व नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्व हुआ हो।
9. स्वास्थ्य संबंधी :- चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य पाया जाये तथा वह ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करें।
10. आवेदक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय-समय पर सौपें गए प्रशासनिक दायित्वों का निर्वाहन करना होगा।
11. यह नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिए परवीक्षा पर अनुबंध पर की जावेगी।
12. यह नियुक्ति स्वशासी संस्था की सेवा शर्तों के अधीन होगी। नियुक्ति की अवधि समाप्ति के पूर्व किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की अग्रिम सूचना देकर या उसकी एवज में 1 माह का अग्रिम वेतन देकर सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।
13. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- आवेदन पत्र दिनांक 31.08.2019 सायं 05:00 तक कार्यालय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कुदरी - चांपा रोड, शहडोल (म0प्र0) पिन :- 484001 में प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा करायें जा सकते हैं। किसी भी स्थिती में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
14. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
15. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल की वेबसाइट WWW.GMCSHAHDOL.ORG एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा भोपाल की वेबसाइट WWW.MEDICALEDUCATION.MP.GOV.IN पर उपलब्ध है।

महत्वपूर्ण टीप :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरूद्व पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो। इस आशय से संबंधित घोषणा-पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)